न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/131/19	10–10–2019	18–11–2020

1. दीनदयाल पुत्र रामकुमार महाजन जाति महाजन निवासी सुभाष नगर अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. नगर परिषद अलवर जरिये अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद अलवर।
2. आयुक्त, नगर परिषद अलवर।
3. कर निर्धारण अधिकारी, नगर परिषद अलवर।

रेस्पौडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा आयुक्त नगर परिषद, अलवर, विरूद्व आदेश डिमान्ड नोटिस क्रमांक 3505 दिनांक 11.01.2013

उपस्थितः–
1– श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता –वकील अपीलान्ट्स
2– श्री भँवर सिंह नरूका –वकील रेस्पो

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 121 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के विरूद्व नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा–130 के तहत आयुक्त नगर परिषद अलवर के विरूद्व आदेश डिमान्ड नोटिस जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट जारी किया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई । बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट की जमीन जो कि मौके पर 1833.55 वर्गगज है जिसकी सुरक्षा की दृष्टि से बाउण्ड्री वाल बना रखी है नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा मनमाने रूप से बिना नोटिस दिये पैमाईश मनमानी मानकर कर निर्धारण किया है। अपीलीय नोटिस गलत तरीके पर 1,81,600/– रूपये का जारी कर दिया जो राशि किसी प्रकार से देय नहीं होती है ओर कानूनी रूप से प्रत्येक वर्ष में अलग–अलग वर्षो में बिल नही भेजा गया है। अपीलान्ट की जमीन का सही प्रकार से पैमाईश नहीं की गई है। धारा 131, 132 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो की आज्ञापक प्रावधान है। उनके द्वारा ब्याज व पैनेल्टी लगाना, बिना सुनवाई के ब्याज व पैनेल्टी लगाना प्राकृति नियम व सिद्वान्तो के विपरीत है जिस व्यक्ति के विरूद्व पैनेल्टी लगानही हो तो सुनवाई का प्रावधान है। धारा 130 में प्रावधान है व नोटिस की सुनवाई धारा 131 में सुनवाई है। कर जो लगाया है उसकी कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई, धारा 113 कर निर्धारक द्वारा भी कोई सूचना नहीं दी गई है। अपीलान्ट के विरूद्व मानमाने रूप से अत्यधिक राशि अनावश्यक रूप से लगाई गई है जो कि बहुत अधिक है। एक भी भवन का नगर विकास कर एवं मैरिज होम टैक्स एक साथ लगाना नियम विरूद्व है। अपीलान्ट दिनांक 6.7.2013 को नगर परिषद अलवर में किसी कार्य से गया तो जानकारी

जिला कलेक्टर
अलवर (राज0)

मिली पता लगा कि डिमान्ड नोटिस अन्तर्गत धारा–130 के विरूद्व न्यायालय श्रीमान के यहां अपील की शक्तियॉ है जिसके पश्चात नकल लेकर अपील प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद के साथ पेश की गई है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार फरमाई जावें तथा अपीलाधीन डिमान्ड नोटिस निरस्त किया जावें। अपीलान्ट की ओर दौराने बहस नगर परिषद, अलवर की रसीद बुक 3732 दिनांक 29.6.2020 एवं 3718 दिनांक 12.3.2020 के द्वारा अपीलान्ट ने राशि जमा कराई है की पेश की जो शामिल पत्रावली हों।

विद्वान वकील रेस्पौडेन्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट को डिमान्ड नोटिस धारा 130 की पहले से ही थी, अपीलान्ट द्वारा विधि विरूद्व तरीक पर अपील देरी से पेश की है, देरी का कोई युक्ती युक्त कारण भी दर्ज नहीं किया है। अपीलान्ट द्वारा समय समय पर बनने वाली डिमान्ड राशि जमा नहीं कराई गई जिस कारण रैस्पा0 द्वारा नियमों के तहत वसूली योग्य राशि डिमान्ड नोटिस जारी किया गया है। नगरीय विकास कर राज्य सरकार द्वारा सत्र 2007–08 से ही लागू किया गया है। विवादित भूमि का भू–स्वामी द्वारा नगरीय विकास कर के स्व–निर्धारण प्रपत्र में जो विवरण दिया गया उसकी के अनुरूप ही कर निर्धारण किया गया है। अपीलान्ट की उपस्थिति मे सही प्रकार से पैमाईश कराई जाकर डिमाण्ड राशि का नोटिस जारी किया गया है। जिस प्रकार अपीलान्ट किसी प्रकार से चेलेन्ज करने का अधिकारी नहीं है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन अपीलान्ट के पक्ष में नही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया। अपीलान्ट आदेश क्रमांक दिनांक 11–01–2013 के विरूद्व दिनांक 10–07–2013 को पेश की है, जो करीब 6 माह विलम्ब से पेश की गई है। वकील रेस्पौ0 ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह जाहिर होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से रही हो। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील पेश करने में हुये विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने नगर परिषद, अलवर की रसीद बुक 3732 दिनांक 29.6.2020 एवं 3718 दिनांक 12.3.2020 के द्वारा अपीलान्ट ने राशि जमा कराई है जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा कर राशि जमा कराई जा रही है। अपील में न्योचित कार्यवाही किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर नगर परिषद अलवर का आदेश डिमान्ड नोटिस क्रमांक 3505 दिनांक 11.01.2013 निरस्त किया जाता है इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18–11–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर, अलवर